

15.10.2024 - दोनो पत्रो के आधीपत्रा उपलब्ध।
करीब वि. प्रामी अवलोकन करी करण
आइते है, जो अवलोकन वंड किना कारना
उत्तर - पत्र की धरम करनी गई। दोनो

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशयत्य जज

आ
की

वहल तस्वेदन किया कि राजगन कौशिकी से
उभय-पक्ष को संबन्ध किए जाने पर कुछ
आपत्ति नहीं है। उक्त उभय-पक्ष को सुना।
पक्षर पर जनर किया तथा पत्रावली पर
विषयक रिकॉर्ड व दस्तावेजों का गणनीयता
पूर्वक आलोचना किया। मिलने पाया कि विवादित
आपत्ती के पत्रकार रिकॉर्ड - लह लवातेदार है
तथा रिकॉर्ड स्वामिद्वारा के प्रथम बखत
का बाद विभागीय है। उक्त पाता पत्रकार
के प्रथम आगे हो विवाद नहीं बचे। उक्त
कारण राजगन आदेश को प्रभावित रहना
अप्रति प्रतीत होता है। उक्त खतर में प्रती
का आदेश र-तीकार किया व्यापक समाधान
दिया हरा यादी जमान आदेश दिनांक 13-7-23
से उभयपक्ष को सूचना के सिवाय तब
संबन्ध करते इस कारण को देखा प्रत्यक्ष किया
जाता है।

पत्रावली इनका अग्रिम होना वांछित
(बखत से)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बल्लोतरा

15-10-2024